सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

वैशाख 8, मंगलवार शाके 1942- अप्रेल 28, 2020

Vaisakha 8, Tuesday , Saka 1942- April 28, 2020

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आदेश

जयपुर, मार्च 23, 2020

संख्या प.4(1)वित्त/आब/2020 :-वर्ष 2020-21 हेतु आबकारी एवं मद्यसंयम नीति इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2020 के द्वारा जारी की जा चुकी है साथ ही उक्त में पूर्व में समसंख्यक पत्र दिनांक 04.03.2020 से संशोधन जारी किए गए है। अब पूर्व में जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2020-21 एवं संशोधन दिनांक 04.03.2020 के निम्नांकित बिन्दुओं पर निम्नानुसार संशोधन एवं आदेशित किया जाता है:-

(5) रिटेल ऑन (Retail On) होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार:-

5.1. होटल बार:

5.1.1 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

SNO	*Category*	*Basic Licence Fees for the year 2020-21 or part thereof*		
1	2	3		
1	**Luxury Hotel/Train :-**			
	i. Five Star Hotel	16.00		
	ii Four Star Hotel	11.00		
	iii.Three Star Hotel	8.50		
	iv.Luxury Train	8.50		
2	**Other Hotels :-**			
	Situated in and within	Upto 50 Rooms	51 to 100 Rooms	More than 100 Rooms
	Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Mount Abu, Jaisalmer; and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort	8.00	10.00	15.00
	Within urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT urbanisable limit; Ranakpur temple and Ranthambhor National park,s 5 kilometer periphery limit.	6.50	7.50	9.50
	(iii) Other areas not covered in above 2(i) & 2(ii)	3.00	3.50	4.00
3.	**Heritage Hotel :-**			
	Situated in and within	Upto 10 rooms	11 to 25 Rooms	More than 25 Rooms
	Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Mount Abu, Jaisalmer; and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort .	3.00	3.50	4.00

	(ii) Within urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT urbanisable limit ; Ranakpur temple and Ranthambhor National park,s 5 kilometer periphery limit.	1.50	2.50	3.50
	(iii) Other areas not covered in above 3(i) and 3(ii)	0.75	1.25	1.75

(Rs. in Lacs)

5.1.2 हैरिटेज होटलों हेतु कमरों की संख्या का आगणन पुराने कमरों तथा नये कमरों की संख्या को जोड़कर माना जायेगा।

5.2. रेस्टोरेन्ट बार:

विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेंन्ट्स के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रारम्भिक लाईसेंस फीस
1	2	3
1	वे रेस्टोरेन्ट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा में स्थित हो - (अ) जयपुर/जोधपुर मुख्यालय	9.00
	(ब) अन्य जिला मुख्यालय तथा अन्य संभाग मुख्यालय एवं माउन्ट आबू एवं जैसलमेर के नगरकीरण योग्य सीमा एवं अन्य नगरपालिका, भिवाड़ी यूआईटी क्षेत्र तथा कुम्भलगढ किले के 10 किमी परिधीय क्षेत्र	6.50
2	अन्य वे रेस्टोरेन्ट जो उपरोक्त (अ) से (ब) स्थानों में शामिल नही।	4.00

नोट:- उपरोक्त के क्रम में बार अनुज्ञाधारियों द्वारा पूर्व में वर्ष 2020-21 के लाईसेंस हु अधिक जमा की गई राशि रिफण्ड योग्य है।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के ऊपर अंकित प्रावधानों के संदर्भ मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें। आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2020-21 के शेष प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2020-21 एवं पूर्व संशोधनों के अनुसार होंगे।

वर्ष 2020-21 हेतु आबकारी बंदोबस्त की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण कर विभाग को सूचित करावें।

डॉ0 पृथ्वी,
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।